न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 165/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. सुनिल पुत्र दयाराम जाति अहीर निवासी ग्राम मुण्डियाखेडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट

बनाम

1. सगरली पत्नि स्व0 उदमी जाति अहीर
2. कालूराम पुत्र मामनराम जाति अहीर
3. दयाराम पुत्र उदमी जाति अहीर निवासीयान ग्राम मुण्डियाखेडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर
5. उप पंजियक मुण्डावर
6. बंशीधर पुत्र रामसिंह जाति अहीरी निवासी बसई तहसील बहरोड

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 10.11.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री प्रेम कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :- श्री विनोद यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

3 वकील रेस्पो0 सं0 6 :- श्री सुबेसिंह यादव

निर्णय दिनांक 15.1.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/16 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार करते हुये वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दौराने विचारण वाद प्रार्थी प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सन 1961 से दर्ज रिकार्ड है । यह आराजी प्रार्थिया की स्वअर्जित आराजी है । वादी/अप्रार्थी द्वारा पैत्रिक दादालाई भूमि बताते हुये दावा प्रस्तुत किया गया है । जबकि भूमि पैत्रिक दादालाई की न होकर प्रार्थिया प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजी है । इस प्रकार वादी का वाद कानून द्वारा वर्जित है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया गया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अभिकथन किया है कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 ला0 3 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं । रेस्पो0 संख्या 01 अपीलांट की दादी है एवं रेस्पो0 संख्या 3 अपीलांट का पिता है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 1.29 हेक्टेयर वाके ग्राम मुण्डियाखेडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर स्वअर्जित आराजी न होकर पैत्रिक दादालाई की आराजी है, जिसमें अपीलांट का 1/6 हिस्सा बनता है । चूंकि विवादित आराजी पैत्रिक दादालाई की है और पौते की जन्म से ही अधिकार होता है । इसलिये मेरा दावा किसी कानून से बाधित नहीं है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । पीठासीन अधिकारी जी प्रतिवादी से साजबाज होकर वादी का वाद खारिज करने की फिराक में थे । इसलिये मैंने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था,जिसमें तहत न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी जी टिप्पणी मांगी गई थी । इसके उपरान्त भी प्रतिवादी रेस्पो0 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार मेरा दावा गलत तौर पर खारिज कर दिया । इतना ही नहीं, उक्त प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत करने का मुझे मौका भी नहीं दिया । प्रतिवादी रेस्पो0 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । वे अपनी आपति अपने जवाब दावा में उठा सकते थे । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विवादित आराजी पैत्रिक दादालाई की न होकर मेरी स्वअर्जित है, जिसमें अपीलांट वादी का कोई हक नहीं बनता है । उसका दावा कानून बाधित है । इसलिये आदेश 7 नियम 11 में सही तौर पर खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 06 का कथन है कि विवादित आराजी में से 1/6 भाग मैंने रेस्पो0 संख्या 01 सगरली से दिनांक 22.11.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की है और प्रतिफल अदा कर कब्जा प्राप्त किया है । मैं सदभावी केता हूं । यह आराजी प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 01 सगरली की स्वअर्जित है । इस आराजी से वादी अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आराजी खसरा नम्बर साबिक 42 मिन रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा से हाल नम्बर 119 रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा बनाया गया है । जमाबन्दी सम्वत 2015–18 के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 42 मिन का खातेदार नन्दा पुत्र रामलाल अहीर रहा है और उसने अपनी बहन प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या सगरली के पक्ष में उक्त आराजी का दान पत्र दिनांक 16.2.1959 को कर दिया था । उक्त दान पत्र के आधार पर प्रतिवादी रेस्पो0 सगरली के पक्ष में दिनांक 7.4.61 को इन्तकाल संख्या 18 स्वीकार किया गया था, जिसका अमल जमाबन्दी में हो गया था । उसके बाद हाल जमाबन्दी में सगरली के नाम उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज है ।

7 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन से सिद्ध है कि विवादित आराजी पैत्रिक दादालाई की न होकर सगरली की दान पत्र के माध्यम से स्वअर्जित आराजी है । पैत्रिक दादालाई की भूमि होने बाबत वादी अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में पैत्रिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

दादालाई की भूमि बताकर दावा प्रस्तुत किया है, जबकि भूमि पैत्रिक दादालाई की नहीं है । इस प्रकार वादी अपीलांट का वाद कानून वर्जित है । आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0 पी0 सी0 में प्रतिपादित किया गया है जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो उस दशा में वाद पत्र नामंजूर कर देना चाहिये । अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned with Cam